कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

दूरभाष 05962 230065, फैक्स 05962 232182 – मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 2343 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 12/11/ 2022

सेवा में

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 171.00 से 206.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौडीकरण हेतु 18.405 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/151120/2022**

सन्दर्भ – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक **2789/FP/UK/ROAD/151120/2022** देहरादून 21 मई 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल कार्यालय द्वारा 6 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियता को अधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पार्ट–I के पैरा A-3(Xvii) में अपलोड कर लिया गया है (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न)
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट I में के0 सैक्शन पर अपलोड कर लिये गये हैं। (प्रपत्र संलग्न)
3	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट–II, Para-5 में Working Plan की सूचना नहीं भरी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–II के पैरा–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 18.405 है0 समतुल्य क्षेत्र में किया गया है, जबकि भारत सरकार की Handbook Guideline के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रभावित क्षेत्र के दुगने अवनत क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के0एम0एल0 फाईल, जी0पी0एस0 कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट–I एवं पार्ट–II में अपलोड करते हुए हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना दोगुने क्षेत्रफल (36.810 है0) पर तैयार कर पार्ट I के एल0 सैक्शन में अपलोड कर ली गयी है एवं सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर हार्ड कॉपी में प्रेषित किये जा रहे हैं।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्र में वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–5981 अंकित की गयी है, जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट–II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या–5432 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	आपत्ति का निराकरण प्रभाग स्तर से ऑनलाईन कर दिया गया है, जिसके अनुसार वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्ष 5981 ही हैं।
6	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	उक्त बिन्दु का निराकरण प्रभाग स्तर से सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आपत्ति का निराकरण हेतु उच्च स्तर से सहयोग प्रदान किये जाने हेतु पत्र लिखने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।